



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

शरवी चरि महती वगैरह बनाम महेश महती वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....<u>132</u> / 2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>बुण्डू</u> के अप्राथमिकी सं०-<u>36/17</u> दिनांक-<u>21-09-17</u> प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि SDE No 20/17 SDE No-17/17 में जमीन के बटवारा का लेकल खापस में तनाव उत्पन्न होना ।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>16/10/17</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	<p align="right">A/C</p> <p align="center" style="margin-top: 100px;">3/11</p>

16/10

Book parts appeared आरोपसुक्त इंकां किपर उभय पक्ष। Book parts to file etc by next date.

(5)

पृष्ठ सं०-

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

27-04-18

अभिलेख उपर्यापित । प्रथम पल
कमोके 01 उपर्यापित अन्य अनुपलित
द्वितीय पल उपर्यापित । उक्त वाद मे
6 (दः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी
है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया
है । अतः खाद मे अभिलेख की
कारबाही बन्द की जाती है ।

4
27/4/18